

या तो मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री विजय भास्कर रेड्डी साहब एक बार और यहां क्वश्चन ऑवर में चले आए थे तो हमने आपसे पूछा था कि यह सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं तो इन्होंने हाथ जोड़ते हुए यहां से विदा ले ली। आपने कहा कि वह आपसे छुट्टी लेने के लिए आए हैं, आपको गुडबाई करने आए हैं लेकिन आज ये फिर आ घमके हैं। अब सबसे बड़ा तो, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का अधिकार ही आपने छीन लिया। यह नेता विरोधी दल और श्री सोमनाथ चटर्जी के उठाने लायक सवाल थोड़े ही था, यह राइट तो हम लोगों का था। यह तो हमारे और श्रीकान्त जेना जैसे लोगों के लिया था लेकिन आपने उनको मौका दे दिया।

यह शायद प्रधानमंत्री के मन की घबराहट है कि मुख्यमंत्री तक को यहां बुला लिया और शरद पवार साहब बाहर इन्तजार कर रहे हैं। यह इनकी घबराहट का प्रतीक है। इनको लग रहा है कि आज ये जाने वाले हैं तो सब लोगों को यहां पर बुला लिया। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है और जाने वाला होता है तो सारे रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है कि आ जाइए, अन्तिम दर्शन कर लीजिए। तो हमको लग रहा है कि वैसे ही कुछ हो रहा है। कहीं अन्तिम दर्शन के लिए ही तो लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी के भाषण से यह स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : मान्यवर, समाजवादी पार्टी की ओर से मैं बोल नहीं पाया हूं, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्लीज।

[अनुवाद]

हमने समय दिया है। आप किसी और मुद्दे पर बोलेंगे। कृपया अब आप बैठ जाइए। कृपया हमें अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।

ठीक है, मैं समझता हूं कि श्री नीतीश कुमार इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। मेरी श्री नीतीश कुमार से पूरी सहानुभूति है। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिसमें हम स्वयं संविधानिक उपबन्धों की सुदृढ़ व्याख्या करने लगे हैं। पीठासीन अधिकारी इस स्थिति में नहीं हैं कि वह श्री विजय भास्कर रेड्डी को इस सभा में आने से रोके। संविधान के अनुरूप वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आप श्री शरद पवार को कैसे रोक सकते हैं ? क्या हम जाकर उन्हें बुलाएं ? ... (व्यवहान)

अध्यक्ष महोदय : अब, काफी हो चुका है। हमें समय की कार्यवाही को गम्भीरता से लेना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया आप बोलें।

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : महोदय, आपने इसे मेरे भाषण की भूमिका कहा है। क्या गजब की भूमिका है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया और इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया।

राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी संसदीय प्रणाली में एक विशेष सम्पृक्तार्थ होता है। अभिभाषण के प्रारम्भ में विशेषकर राष्ट्र और सरकार के महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला जाता है। उदाहरणार्थ गत वर्ष के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कुछ प्रस्ताविक चर्चा के बाद सीधे आर्थिक सुधार और आर्थिक कार्यक्रम का सवाल उठाया था। गत वर्ष राष्ट्र का यह सर्वप्रथम लक्ष्य था और यही ठीक था क्योंकि हम बड़ी विकट स्थिति में आ खड़े थे जिस स्थिति से हम सरकार के प्रयासों से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रहे हैं। और इसलिए गत वर्ष के अभिभाषण के समय आर्थिक कार्यक्रमों की सूची ही सबसे लम्बी थी और राष्ट्रपति जी ने समावेश यहीं से अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया था।

इस वर्ष महोदय, दुर्भाग्यवश मैं यह नहीं कहता कि आर्थिक कार्यक्रमों की सूची बन्द कर दी गई है या पीछे छोड़ दी गई है लेकिन राष्ट्रपति की पहली चिन्ता राष्ट्र की जीवन्तता और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की अक्षुण्णता को कायम रखने की है।

यह भी एक सुविचारित घटना है, जिस पर हमें सर्वप्रथम गौर करना चाहिए, इसी के परिणामस्वरूप एक वर्ष या पिछले दो-तीन महीनों में यह सब घटित हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यह हमारा सर्वप्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य और शायद हमारी पहली चिन्ता होनी चाहिए कि हमें इन सब घटनाओं, इन सब बातों पर गौर करना चाहिए।

महोदय, यह पहली बार नहीं हुआ है कि धर्म को राजनीति से अलग करने की आवश्यकता का मुद्दा हमारी चर्चा, इस देश में हमारे विचारों का मुख्य विषय रहा है। संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान इस विषय पर मुख्य-मुख्य विवाद गथा और तब से लगातार समय-समय पर इस विषय पर चर्चा होती रहती है। कुछ हद तक हमने इस मुद्दे का समाधान किया है। हमने इसका कुछ हद तक समाधान नहीं किया है। जहाँ तक इसका समाधान नहीं हो पाया वहीं से इसने पुनः अपना सिर उठाया है और समय-समय पर मुश्किलें पैदा की हैं।

इस सभा से और राष्ट्र से मेरा यह कहना है कि अब वह समय आ गया है कि इस समस्या का और अधिक जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। अब हमें इस बारे में सदा के लिए ठोस निर्णय करना है। हमारा कहना है कि यह देश निरन्तर धर्मनिरपेक्षता पर कायम रहा है और बिना धर्मनिरपेक्षता के इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह जीवन्त नहीं रह सकता। मेरा कहना है कि हमें सर्वप्रथम सभी पार्टियों के साथ स्वयं इस बारे में निर्णय करना है।

महोदय, 1948 में भी जब संविधान पर विचार-विमर्श चल रहा था। संविधान सभा के एक सदस्य श्री अनन्त समनय अय्यंगर ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव का पाठ इस प्रकार था :

“चूँकि लोकतन्त्र के समुचित निर्बलन और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की अभिवृद्धि के लिए यह अपरिहार्य है कि भारतीय जनजीवन से साम्प्रदायिकता को समाप्त कर दिया जाए अतः इस सभा की धारणा है कि किसी भी साम्प्रदायिक संगठन को, जो अपने संविधान या अपनी कार्यकारिणी अथवा इसके अवयव में निहित विवेकाधिकार से धर्म, वंश और जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को अपनी सदस्यता देती है या उसे अपनी सदस्यता से वंचित करती है, समाज की यथार्थ धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए अपे-

क्षित गतिविधियों से इतर अन्य गतिविधियों में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए वैधानिक एवं प्रशासनिक सभी प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए।”

उसी वाद-विवाद में पंडित जी ने कहा था :

“हमें अपने दिमाग में तथा देश के अन्तर्भूत में स्पष्ट रूप से यह बात घर लेनी चाहिए कि साम्प्रदायिकता के मध्य में धर्म और राजनीति का गठबन्धन एक अत्यन्त खतरनाक गठबन्धन है जिससे अवैध और कलुषित विचारों का जन्म होता है।”

उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार महोदय, यह मुद्दा हमेशा चिन्ता का विषय बना रहा है।

दुर्भाग्यवश, समय-समय पर ब्याप्त परिस्थितियों के कारण हम इस समस्या का समाधान कुछ अन्य साधनों से मतपेटी आदि के माध्यम से कुछ हद तक कर पाए हैं। लेकिन प्रारम्भ से ही अर्थात् प्रथम आम चुनाव 1952 से अब तक मैं बिना किसी विरोधाभास के यह कह सकता हूँ कि चुनावी राजनीति में थोड़ी-बहुत हद तक साम्प्रदायिकता का संश्लेषण रहा है जो कि तब से सदा बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक यह इतना भयावह नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक वास्तव में इससे देश के अस्तित्व को, देश की अखण्डता को खतरा नहीं हुआ था। लेकिन 25 वर्ष के भीतर श्रीमती इन्दिरा गांधी इस निष्कर्ष पर पहुँची थीं कि यह स्पष्ट करना नितान्त आवश्यक है कि भारतीय लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र की ओर अग्रसर हो रहा है।

‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इसमें 25 वर्ष लग गए। तब तक इस शब्द को जोड़ने की अनिवार्यता या ऐसा एकदम स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यह केवल धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र ही है, नहीं पढ़ी थी। यह अनिवार्यता 42वें संशोधन में पैदा हुई। 42वां संशोधन इस बात को स्पष्ट करता है कि इस देश में लोकतन्त्र, लोकतन्त्र की संज्ञा इसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र की ओर ले जाने की है। किसी अन्य लोकतन्त्र में यदि वह राष्ट्र चाहता है तो यह गैर धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है। लेकिन यह राष्ट्र विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र चाहता है। बस यही बात इसमें स्पष्ट की गई है।

धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र में यह एकदम स्पष्ट है कि इसमें शामिल होने वाली पार्टियों की प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, उनका धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष अस्तित्व होना चाहिए। कोई भी प्रक्रिया गैर-धर्मनिरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। यह एक प्रामाणिक तथ्य है। इस तथ्य को सिद्ध किए जाने अथवा इस पर अधिक तर्क किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के इस विशेष पहलू के बारे में और धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र में इसके कार्यकरण के बारे में जानना आवश्यक है।

महोदय, हाल की दुखान्त घटनाओं के बाद देश के कई न्यायविद्, संवैधानिक विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी इसके बारे में मुझे लिख रहे हैं और मैं जानता हूँ कि यह उन्माद सारे देश में फैसला जा रहा है क्योंकि अन्ततः हमारा देश एक विचारशील देश है। हजारों वर्षों से यह देश ऐसा रहता आया है।

अतः इस विचार-विमर्श, चिन्तन के परिणामस्वरूप मैंने सरकारी तौर पर कुछ पहलुओं का अध्ययन किया। हमारे पास ऐसे कई प्रावधान हैं जिनसे कुछ हद तक—हम तो कहेंगे काफी हद

तक—धर्म को राजनीति में लाना रोका जा सकता है—लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सका। आज की यही स्थिति है। लेकिन इसे रोकना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इसे समाप्त करना होगा। निसन्देह इसे जनता के दिमाग से निकालना होगा। यह एक लम्बी प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसे संवैधानिक और वैधानिक ढांचे जिस पर लोकतन्त्र का निर्वहन आधारित है। से भी हटाना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

इसका अध्ययन करने के पश्चात् 42वें संशोधन के बारे में मेरा तो कहना है कि यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, उद्देशिका में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ना यह महत्वपूर्ण दिशा थी जिसने एक कमी पूरी कर दी। आज स्थिति यह है कि इस मामले का पूरा अध्ययन करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आया है। अत्यन्त विचारशील नेता श्री मधु लिमये ने इसके बारे में मुझे लिखा और हमने मामले का पूर्णतः अध्ययन किया था। हमने यह पाया :

“पूर्ववर्ती स्थिति से यह स्पष्ट है कि संविधान के वर्तमान उपबन्ध, चुनाव सम्बन्धी कानून और अन्य अधिनियमों में ऐसी स्थिति से निपटने में पर्याप्त सक्षम नहीं हैं जिसमें कोई राजनीतिक दल स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशेष या सामान्य मुद्दों को उठाए यद्यपि चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाना विशेष रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित 'घट्ट आचरण' की परिभाषा के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।”

अतः यह किसी पार्टी के कार्यकरण, उसकी गतिविधियों के समूचे दायरे पर आंशिक रूप से प्रभावी होता है। इस पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है। हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब यह लोकतन्त्र एक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र होगा। इसलिए क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव बिन्दु आदेश में संशोधन करने से राजनैतिक पार्टियों को धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं का लाभ उठाने या उनका शोषण करने से रोका जा सकता है। इसका उत्तर है 'जी नहीं।’

क्योंकि हमने ऐसा प्रयास नहीं किया है। इसका परीक्षण नहीं किया गया है। इसलिए हमें कुछ विशेष उपाय ढूँढने होंगे और यह सरकार उन उपायों की खोज में है। मैं इस सभा में और सभा के बाहर इस विषय पर पूरी बहस चाहता हूँ और पूरी बहस के बाद ही हम इस देश में मानवीय प्रवीणता से उत्पन्न एक अत्यन्त कारगर उपाय तक पहुँच पाएंगे। यह सरकार का वायदा है। मैं इस विषय को यहाँ उठाना चाहता हूँ। यह राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस विषय को लेना हमारा प्रथम कर्त्तव्य बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि गत वर्ष की घटना के परिणामस्वरूप प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी और मेरा कहना है कि सभा के समक्ष, राष्ट्र के सामने वह स्थिति आएगी चाहे यह किसी भी रूप में हो। मैं पुनः इस सरकार को किसी संवैधानिक कानूनी संशोधन के सुपुर्द करता हूँ जिसकी आवश्यकता इसके ढांचे को समयोचित बनाने के लिए हो सकती है ताकि समूची व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक आदर्शों के अनुरूप कायम किया जा सके जैसा कि संविधान में निहित है।

राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम धार्मिक उपाय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि वह धार्मिक संबन्ध है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सार यही है। यदि कोई अपने अधिकारों, अपनी शिक्षा या अन्य बातों के लिए हिन्दू या मुस्लिम संस्था को अपनाना चाहता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए संविधान खुला है। उसमें इसकी अनुमति है। लेकिन हम चुनावी राजनीति में इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि चुनावी राजनीति में आने के बाद इसका स्तर वह स्तर नहीं रहता है। हर चीज अपने स्तर पर होनी चाहिए। दोनों पक्षों

के लिए इसके कुछ लाभ या हानियां हो सकती हैं। यदि हिन्दू होना ही एक योग्यता है और पार्टी कहती है कि यह सभी हिन्दुओं के लिए है और दूसरी पार्टी मुस्लिम बन जाती है तो फिर इस देश में हम चुनाव ही क्यों करवाएं। 85 प्रतिशत हिन्दू हैं। यहां तक कि चुनाव से पहले ही परिणाम बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार जब तक इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या धार्मिक आधार पर विभाजित न होकर त्रैचारिक आधार पर विभाजित नहीं होती और ऐसी ही स्थिति अल्पसंख्यक लोगों के साथ भी हो, तब तक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र नहीं आ सकता। इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। जैसे राजद्रोह का आह्वान करना गैरकानूनी है उसी प्रकार इसे भी गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, पंजाब के चुनावों में कुछ नेताओं ने कहा 'मैं' इन चुनावों को 'खालिस्तान' के लिए जनमत संग्रह के रूप में ले रहा हूं। हमने चुनाव रोक दिए। ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : मिजोरम में आपके मैनोफेस्टो में था कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वहां क्रिश्चियन सरकार बनेगी।

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : जहां भी ऐसा हुआ है यह गलत हुआ है। संवैधानिक रूप से यह गलत है। ... (व्यवधान) ... हम कुछ गम्भीर बात कर रहे हैं। इस वाद-विवाद में ज्यादा चिल्लाने से सफलता नहीं मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मिजोरम में आपके मैनोफेस्टो में यह था या नहीं था ?

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैं आपसे सहमत हूं। मिजोरम में राज्य के कांग्रेस मैनोफेस्टो में यह गलत बात जोड़ दी गई थी। हमने इसे हटा दिया। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। हम इस बात से एकदम अलग हैं। जो कुछ हुआ वह गलत था। वह एकदम गलत था। इस देश में ऐसे मामले हुए हैं कि धार्मिक अवनाओं के दोहन की अपील करने वाले 'पम्पलेट्स' को उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता और जन प्रतिनिधित्व अधिविग्रह का उल्लंघन माना और चुनाव रोक दिए गए।

बम्बई हाई कोर्ट के ऐसे निर्णय हो चुके हैं जिनमें इस सिद्धान्त को सही माना गया है यह तो केवल, वर्तमान कानून वर्तमान मामले संबंधी कानून को सुदृढ़ करने, और जहां कहीं इसमें कोई खामी है, उस खामी को दूर करने का मामला है। जिससे कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र त्रुटिहीन बने, तथा सभी अर्थों में अलंघनीय हो ... (व्यवधान) ... अतः मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं और वह हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी।

अब इस वाद-विवाद ने अन्य दो वाद-विवादों को पीछे छोड़ दिया है। एक रेलवे संबंधी बर्चा है। मेरे मित्रों ने कुछ रेलवे के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। उसके लिए रेल मंत्री जी को कार्यवाही करनी पड़ेगी उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक गतिविधियों के बारे में कफ़ी कुछ बताया गया है। उन्होंने आर्थिक नीति पर प्रमुख जोर देने की बात कही है। जिसे पिछले वर्ष अनुमोदन दिया गया था और जिसका अनुसरण करते हुए हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। लेकिन

मैं इस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि बजट पर चर्चा के दौरान इन सब पर चर्चा होनी। अतः मैं इसे बजट पर चर्चा के दौरान विचार किए जाने हेतु छोड़ता हूँ।

केवल एक मुद्दा जो अभी तक अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं हुआ है, उस पर मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा और वह है कृषि का महत्त्व। यह केवल नारे के रूप में ही इस बारे में कुछ कहा गया है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि 1993-94 के बजट में गरीबी कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा गरीबों के उत्थान की हमारी नीति के बारे में आश्वत किया गया है, जैसे कि सरकार विनिमयन और उद्योगों आदि में सीधे हस्तक्षेप के भाग से हट रही है, तो इसे मुख्यतः केवल उन्हीं सेवाओं पर ज्यादा दृढ़ता से ध्यान केन्द्रित करना होगा जो वह प्रदान कर सकती है। बजट में हमारे इन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के प्रति हमारी वचनबद्धता को दर्शाया है। यह प्रमुखतया गरीबी दूर करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आबंटन में वृद्धि करने पर ज्यादा जोर देगा। कृषि क्षेत्र में सोलह प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में छत्तीस प्रतिशत का भारी वृद्धि की है जो 5,000 करोड़ तक पहुंच गई है। पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास में 110 प्रतिशत या 120 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। यह 14,000 करोड़ रुपये से शुरू होकर 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, क्योंकि हमने सोचा कि यह जरूरी है। अगले पांच वर्षों में वस्तुतः ही ग्रामीण विकास के लिए वृद्धि की जानी है जिसमें ग्रामीण रोजगार पानी जवाहर, रोजगार योजना आती है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह वृद्धि 29 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में यह वृद्धि 17.6 प्रतिशत है। यह वृद्धि पिछले बजट में नहीं थी। इसलिए इसके हेतु विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है। जहां एक तरफ आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण किया जाएगा, नियन्त्रण हटाकर लोगों को अपने ही उद्योग लगाने की स्वतन्त्रता दी गई है वे खुद छुड़कें, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी आबादी रहेगी ताकि इस परिवर्तन से मतभेद न बढ़ जाए, असमानता न बढ़ जाये, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बढ़ी राशि दी गई है ताकि सब सन्तुलन बना रहे तथा ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में परस्पर एकरिश्ता बना रहे।

4.00 म० प०

हमने हाल ही में कृषि के विकास के लिए राज्यों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों से विचार-विमर्श करके एक प्रगतिशील कृषि नीति तैयार की है। कृषि सम्बन्धी नीति संकल्प पर 5 मार्च, 1993 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी जिन्होंने मोटे तौर पर इसको स्वीकृति दे दी थी। कृषि सम्बन्धी नीति संकल्प को संसद के समक्ष सांसदों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। नीति में ढांचागत विज्ञान, संतुलित क्षेत्रीय विकास और अधिक सार्वजनिक निवेश, ऋण के अच्छे प्रावधान और अन्य साधन तथा अनुकूल मूल्य देने की व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में व्यापार व निवेश वातावरण पर जोर दिया गया है।

वस्तुतः इसी पर पूरा जोर है। यह केवल उत्पादन की ही बात नहीं है। इसमें कृषि में व्यापार और निवेश वातावरण भी निहित है? इस साल के बजट में पहली बार कृषि के लिए इतना भारी पूंजी निवेश किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वास्तव में कृषि पर निवेश लगातार कम होता जा रहा था।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृषि संबंधी निवेश के बारे में सरकार की नीति को एक नया

मोड़ देने तथा जब तक हम कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं। उससे अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। पिछला अनुभव रहा है। जब कभी अच्छी फसल होती थी तो सब कुछ ठीक होता था। जब कभी सूखा पड़ता था चाहे सब कुछ ठीक क्यों न हो फिर भी अच्छी हालत का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः यह एक मुद्दा है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ।

महोदय, कृषि में एक कठिनाई आती है और मैं माननीय सदस्यों को सरकार के विचारों से अवगत कराना चाहूँगा। कृषकों के कुछ वर्गों से उर्वरकों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। जहां तक नाइट्रोजीनस उर्वरकों का संबंध है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, क्योंकि मूल्य कम हो गए हैं। फास्फेटिक उर्वरकों विशेषतया डी० ए० पी० के सम्बन्ध में एक शिकायत की गई है। यह शिकायत दो-तरफा है। एक तरफ हमारी अपनी फैक्ट्रियां 9,200 रुपये प्रति टन की लागत पर डी० ए० पी० का उत्पादन कर रही हैं, जबकि आप इसी डी० ए० पी० को 6000 रुपये 6,500 रुपये की दर से आयात कर सकते हो। अब राष्ट्रीय हित में क्या है। यही दुविधा उत्पन्न होती है। मैं निवेदन करूँगा... (व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : स्वदेशी फैक्ट्रियों का क्या होगा ? ... (व्यवधान)...

श्री पी० बी० नरसिंह राव : आप बात क्यों नहीं सुनते हो। महोदय यही दुविधा है, आप दो-तिहाई मूल्य पर कोई चीज प्राप्त कर सकते हो। किसी किसान से पूछिए वह क्या करना चाहेगा। क्या वह इसे 6,000 रुपये में लेना चाहेगा या 9,000 रुपये में चूँकि वह देशभक्त है क्या वह सोचेगा कि हमारी अपनी फैक्ट्रियां उन्नति करेंगी और उसे 9,000 रुपये में ले लेना चाहिए। ... (व्यवधान)...

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उत्पादन लागत कम क्यों नहीं हुई है। ... (व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अपनी फैक्ट्रीज में इतना महंगा उत्पादन होने का क्या कारण है ? ... (व्यवधान)...

श्री पी० बी० नरसिंह राव : आप सुनते क्यों नहीं। ... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

यहां किसी एक वर्ग की बात उठाने में काम नहीं चलेगा। दूसरे पक्ष के हमारे मित्र जो जोर-जोर से बोल रहे हैं अनावश्यक रूप से अपने गले में दर्द कर रहे हैं। वे केवल एक वर्ग अर्थात् उद्योग और श्रम की बात करते हैं। यदि उद्योग को अधिक आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता है, तो श्रमिकों को निकालना पड़ेगा, यह उनकी चिन्ता उचित है। मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अन्य चिन्ता भी है, जो कि किसानों की है। यदि आप उन्हें दे सकते हो तो वह इसे 6,000 रुपये पर चाहते हैं। जब कीमत कम हो तो क्या यह हमारे लिए सम्भव नहीं है कि 'बफर स्टॉक' किया जाए। 'बफर स्टॉक' का विचार हमारे लिए तब भी सम्भव हो सकता है जब मूल्य 6,000 रुपये और 9,000 रुपये के मध्य हो लेकिन किसान के पहुंच के भीतर होना चाहिए, हमें यही रबैया अपनाना चाहिए न कि आयात को बन्द कर दिया जाए यही बढ़िया नीति है, जो किसानों के लिए विचारणीय हो सकती थी और यही हम सोच रहे हैं। दूसरी तरफ, उर्वरकों का समूचा उद्योग है।

हमने इसे बड़ी लागत से बनाया है। इन उद्योगों के उत्पादन से 40 से 45 प्रतिशत की हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। हम इसे बेकार नहीं जाने दे सकते। इसलिए हमें इनको बनाए रखना होगा और इसके लिए हम योजना भी बना रहे हैं। अतः यह दो तरफा पहलू है, जब कभी हम कम मूल्य पर आयात करते हैं तो हम माल का स्टॉक कर सकते हैं और इसके साथ-साथ स्वदेशी उद्योगों की मदद करके उनको उन्नत बना सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नहीं होता है।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : यह भी होता है, वह भी होता है। दोनों का एक ही पैकेज है। दोनों का एक ही पैकेज है। यह भी होता है, वह भी होता है। ... (व्यवधान) ...

[अनुवाद]

मैं श्री चटर्जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक के बिना दूसरा सफल नहीं हो सकता। यदि आप आयात नहीं करते और यदि आप 9,000 रुपये प्रति टन पर जोर डालते रहेंगे तो समूची अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जहां राज सहायता उपलब्ध नहीं है आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले वर्ष राज सहायता 12,000 करोड़ करने जा रहे हैं। क्या इस देश के कर दाता के लिए देश के गरीब लोगों के लिए संभव है वे अकुशल उद्योगों के लिए 12,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकें। यह संभव नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप सरकारी क्षेत्र को प्रतियोगी बनाने के लिए आयात जरूरी क्यों समझते हो।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : आयात जरूरी है क्योंकि इस देश में उर्वरक का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, जहां तक पोटाश का संबंध है देश में एक तोला भी उर्वरक का उत्पादन नहीं होता। पूरा पोटाश उर्वरक बाहर से आता है।

महोदय, ये कृषि की खाशियतें हैं और यदि हम समझते नहीं और उन्हें सुलझाने का प्रयास नहीं करते, तो कृषि संबंधी समस्याएं जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। यही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। यही पैकेज है, जो मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। हम इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब कभी कृषि की बात होगी तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ... (व्यवधान) ...

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : आप यह बता दीजिए कि अमेरिका से गेहूं क्यों इम्पोर्ट किया गया जब कि यहां 300 रुपये क्विंटल मिल रहा था ? ... (व्यवधान) ...

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : उर्वरकों पर हमने एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी। हमने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। हम समिति की सिफारिशें लागू कर रहे हैं, जबकि यहां पर आवाजें उठाई जा रही हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने अपनी जे० पी० सी० की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। इसलिए ये सब हो रहा है इसलिए अच्छा होगा जे०

पी० सी० की रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ा जाये कि उसमें क्या सुझाव थे और उन्हें कहां तक लागू किया जाए।

महोदय, जहां तक आयात का सम्बन्ध है इस वर्ष मेरे विचार से कोई आयात नहीं होगा। हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और हमारी रवि की फसल भी उतनी ही अच्छी होने की संभावना है। इस वर्ष गेहूं का आयात नहीं किया जाएगा और मुझे आशा है आगे भी गेहूं का आयात नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं फिर कहना चाहूंगा कि कृषि सम्बन्धी सभी प्रकार की प्रगति के बावजूद हमें अभी भी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि प्रकृति साथ नहीं देती, तो इस देश में सूखा पड़ता है देश स्वयं पर निर्भर नहीं होगा, देश में सूखा पड़ता रहता है चाहे एक राज्य में या अन्य राज्य के किसी हिस्से में या सभी जिलों में हूँ। कभी-कभी इस देश में भयंकर सूखा भी पड़ता है। मुझे आशा है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी क्योंकि हमने काफी हद तक सिंचाई की व्यवस्था कर ली है। और इसलिए आजकल भयंकर सूखा नहीं पड़ रहा है। यदि ऐसा सूखा पड़ता है, तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृषि का महत्त्व हमेशा रहा है। कृषि सम्बन्धी विकास भी बहुत जरूरी है। लेकिन यह विस्तार कहां किया जाए पंजाब में कुछ करने के लिए नहीं है, हरियाणा में भी कुछ करने योग्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : सूखे से निपटने के लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है।

श्री पी० सी० नरसिंह राव : आप समझने की कोशिश कीजिए।... (व्यवधान)...

[कन्नडा]

यह योजना केवल गंगा के मैदानों के लिए है। यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है। यह केवल बिहार के लिए है। यह उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक रूप से सम्पन्न हैं, लेकिन साथ-साथ हमें उन क्षेत्रों को नहीं भूलना है जहां निवेश किया जाना है। मैंने कृषि विशेषज्ञों से यह कहते हुए सुना है कि केवल एक बिहार राज्य ही सारे भारत को खिला-सकता है। बिहार की भूमि उपजाऊ है। मैंने इसे देखा हुआ है। लेकिन आज वहां की जो उपज हो रही है उस पर गर्व नहीं किया जा सकता। वह लगभग हरियाणा या पंजाब का आठवां व दसवां हिस्सा है। अतः पूर्वी क्षेत्र प्रति एकड़ उरज में वृद्धि का क्षेत्र है। अयोध्या का क्षेत्र भी इसमें आता है यदि हर कोई केवल अयोध्या के बारे में ही सोचेगा और कोई व्यक्ति कृषि के बारे में नहीं सोचेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्र का ध्यान धर्म से, रूढ़िवादिता से प्राचीन नारों से हटाकर पीछे जाने के बजाय 21वीं सदी में ले जाना है। यही समस्त बातों का सार है। सारा कार्य क्षेत्र इसी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस वाद-विवाद को यहीं पर समाप्त करने के लिए सदन से इसका अनुमोदन करने के लिए कहूंगा। हमने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द किया है। मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनेगी। आपको और हमें विशेष तौर से संसद सदस्यों को इन बातों से अपना दिमाग खराब नहीं करना है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय ठीक ले लिया गया है। इसे क्रियान्वित किया जाएगा। एक बार उच्चतम न्यायालय कहता है कि जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर यह है। उस पर कार्यवाही की जाएगी उस पर अमल किया जाएगा पहले ही बहुत आलोचना हो चुकी है। इस सम्बन्ध में पहले ही संदेह व्यक्त किया जा चुका है। हमें एक मौका दिया जाना चाहिए। हर हालत में देश की कार्य सूची को बदलना होगा।

मैं प्रत्येक सदस्य से अपील कर रहा हूँ कि हमें राष्ट्र के कार्यकरण में बदलाव लाना चाहिए, राष्ट्र की आर्थिक दशा में पुनः सुधार लाने चाहिए, आर्थिक स्थिति को फिर उसी स्थिति में पहुँचाना चाहिए जहाँ पिछले वर्ष थी तथा जहाँ से उसने कुछ गिरावट आनी शुरू हो गई थी लेकिन इसे पुनः अपनी उसी स्थिति में आना होगा और इन्हीं वास्तविक तरीकों के माध्यम से राष्ट्र के कार्यकरण को अब आगे बढ़ाना होगा। यही मेरा निवेदन है।

कमजोर वर्गों के लिए हम पहले ही कदम उठा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। उसके लिए जो समय निर्धारित किया है उसका भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में से सामाजिक रूप से प्रोन्नत व्यक्तियों और वर्गों को निकालने के लिए सही और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक मानदंड का प्रयोग करते हुए, आधार सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अधिक संख्या में व्यक्तियों को शामिल करने अथवा कम संख्या में शामिल करने सम्बन्धी शिकायतों और उसमें और वर्गों को शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने, जांच-पड़ताल करने तथा सिफारिश करने हेतु एक स्थायी संस्था का गठन किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः एक स्पष्ट निर्णय दिया है। इस मामले का कुछ न कुछ हल होना ही है और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करके इसे हल करने का समय आ गया है। यही करने का सरकार का निश्चय है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो समयावधि निर्धारित की है, उसी के अनुरूप कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन हैं ही नहीं ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : जो 27 परसेंट रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया गया है, वह इस बार के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के एग्जामिनेशन में क्यों इन्क्लूड नहीं किया गया है ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : राम विलास जी, आप कई लोगों के साथ मेरे पास आ चुके हैं, कई रिप्रजेंटेशन लेकर के मेरे पास आ चुके हैं। आपको पता है कि जब आप कुछ कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली लेता हूँ। कोई बात होगी, कोई एनीमेली होगी, तो उसको आप बताइये, उसको बिल्कुल ठीक किया जाएगा। यहाँ तक कि अभी हाल में बूटा सिंह जी और कुछ मित्र आए थे, उन्होंने कोई ऐसी एनीमेली दिखायी थी, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सारी चीजों में हम जाएंगे, उनकी छानबीन करेंगे और जो कुछ हो सकेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस चौखटे के अंदर जो कुछ हो सकेगा, जो कुछ होना चाहिए, वह बराबर होगा। मैं इसका आश्वासन देता हूँ।... (व्यवधान) ...

[अनुवाद]

महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि राष्ट्र की कार्यसूची कुछ अलग हो गई थी जहाँ

यह बिल्कुल अलग और अनावश्यक क्षेत्र के लिए थी। सौभाग्य से हमारे लिए यह दवाब गंभीर मोड़ नहीं ले पाया। मैं जानता हूँ कि सरकार को मुम्बई में हुए दंगों से माननीय वित्त मंत्री के अनुसार 4000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह कुछ अधिक भी हो सकता है। लेकिन स्थिति में सुधार हो रहा है। स्थिति सामान्य होती जा रही है। और तेजी से सामान्य होती जा रही है। जगवरी और फरवरी के आंकड़ों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था के निर्यात सहित सभी क्षेत्रों में विकास की प्रवृत्ति नजर आ रही है। यह एक स्वस्थ लक्षण है, जिससे हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए।

महोदय, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि केवल एक महीने अथवा पांच या छह सप्ताह में ही हम ऐसे देशों से संपर्क करने में समर्थ हो सके हैं जिनसे हम देश में बढ़े पैमाने पर निवेश करने की उम्मीद करते हैं। अयोध्या मसले के तुरन्त बाद लगभग पन्द्रह दिन अथवा एक महीने के समय तक उसमें अवरोध-सा आ गया था आपस में पूछ रहे थे कि क्या भारत में सामान्य स्थिति आ पाएगी। एक महीने के पश्चात् स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और अब तो तेजी से इसमें सुधार हो रहा है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हम पुरानी स्थिति में पहुँच गए हैं। देश सामान्य रूप से काम कर रहा है और वह स्थिति हमें तथा अन्य देशों में हमारे मित्रों को भी स्वीकार्य हो गई है। राष्ट्रपति येल्टसिन की यात्रा से यह साबित हो गया है कि हमारे पहले जैसे सम्बन्ध विश्व के उस भाग के देशों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों, समाप्त नहीं हो गए हैं। हमने बहुत सी पिछली समस्याओं को हल किया है। मेरा भाषण शुरू होने से पहले कुछ सदस्य मात्र यह पूछ रहे थे कि कि रूस में क्या हो रहा है। अब हम रूस के साथ न्यूनाधिकत सभी मुख्य समस्याएँ हल कर चुके हैं।

केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से अनेकों किसान विस्तृत और तीखी समस्याएँ लेकर आये थे कि वे जो कुछ पैदावार कर रहे हैं वह दूसरे स्थानों पर नहीं जा रही है। “भारत सरकार हमारे लिए बाजार उपलब्ध क्यों नहीं कराती?” बाजार तलाश करना कोई आसान कार्य नहीं है। हमारे पास पूर्व सोवियत रूस का ही एकमात्र बाजार था और वह अब बिल्कुल निरर्थक हो गया था। अब वहाँ बाजार गतिविधियाँ शुरू हुई हैं? तीन दिन पहले ही अनेक लोगों ने मुझे आकर बताया कि बाजार में काम काज शुरू हो गया है। स्थानीय काउंटर खुल गए हैं। एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यह अभी हाल में ही हुआ है और हमें इसके बारे में खुश होना चाहिए क्योंकि सोवियत रूस हमारे आर्थिक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। उस महत्ता को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जिनका यह विचार है कि हमें वैकल्पिक बाजार तलाश करने चाहिए। यह सरकार अपनी उन सुस्थापित और परम्परागत बाजारों को नहीं छोड़ेगा जो इसके पास हैं। हम वहाँ व्यापार करते रहेंगे। हम उनमें और नजदीकी संबंध स्थापित करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति येल्टसिन, जिसकी हमने उम्मीद की थी, उससे भी अधिक उत्साह दिखा रहे थे, क्योंकि उससे पहले सरकारी स्तर पर गतिविधियों में सक्रियता नहीं आ रही थी। उनमें सचमुच उत्साह नहीं था लेकिन शिखर वार्ता में स्तर पर जब वे यहाँ आये तो मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये सभी कठिनाइयाँ हल हो गई हैं। इसी प्रकार अन्य देशों के दौरे रहे हैं, जिसका केवल यही अर्थ हुआ है कि कार्यकरण में बदलाव आया है। हमें मूल कार्यसूची को लेकर चलना होगा और इस संबंध में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और न ही इस पर पुनः विचार करना चाहिए।... (व्यवधान)...

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए अन्य प्रश्नों पर आगे होने वाली चर्चाओं में विचार किया जायेगा। इस प्रकार मैंने सभा के सामने राजनीतिक पक्ष, राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष विश्वास को बचाने और राष्ट्र को जीवित रखने वाली भावना को तथा दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के अति महत्त्वपूर्ण पहलू पर अपनी भावना को रखा है। केवल यही दो बातें मैंने सभा में रखी हैं। दूसरे मामले भी उचित समय पर अन्य चर्चाओं के दौरान सामने आयेंगे। मैं अपनी बात कह चुका हूँ।
 ... (व्यवधान) ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।
 ... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इन मामलों पर चर्चा करने के लिए 12 घंटे का समय जो दिया गया था, वह नहीं, बल्कि 17 घंटे दिए गए हैं। मैं केवल एक या दो सदस्यों को अनुमति दूंगा उससे अधिक नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाषण है जो सरकार के नेता की ओर से आ रहा है। हमने महत्त्वपूर्ण मामले उठाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधान मन्त्री उन सभी पर लगभग सभी पर ध्यान देंगे। लेकिन उन्हें श्री मनमोहन सिंह और श्री जाफर शरीफ की ओर सरकाने से समस्या का हल नहीं होगा। कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं आज सांप्रदायिकता के प्रश्न पर आज के दिए गए स्पष्ट वक्तव्य का स्वागत करता हूँ। देर आए दुस्त आए। दुःखद घटनाओं के बाद उनको समझ आ गई है। मैं उस वक्तव्य का स्वागत करता हूँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। उनकी पार्टी में और कुछ नहीं केवल अकर्मण्यता है। सिर्फ कुछ वक्तव्य देने के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण मामले हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मन्त्री इसका जवाब देंगे। संभवतः, श्री कुमारमंगलम् ने उनको गुमराह किया है, उन्होंने उनको जानकारी नहीं दी है। त्रिपुरा का क्या हुआ ? दो या तीन दिन तक सभा में कार्यवाही नहीं चल सकी। हमें आश्वासन दिया गया था कि त्रिपुरा के बारे में वक्तव्य दिया जाएगा।

श्री पी०बी० नरसिंह राव : हाँ महोदय, श्री सोमनाथ जी के पास बाहर से पता लगाने के लिए समय नहीं है क्योंकि सभा में कुछ नहीं हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाँ, मैं सभा को प्राथमिकता देता हूँ।

श्री पी०बी० नरसिंह राव : हाँ, बहुत अच्छे। मैं आपको बाहर से प्राप्त जानकारी भिजवाने का प्रयास कर रहा हूँ। त्रिपुरा में कार्यवाहक सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। और यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। ... (व्यवधान) ... राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हमने राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी है। निःसन्देह निर्णय उन्हें लेना होगा। ... (व्यवधान) ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि देर आयद दुस्त आयद। इसमें दो या तीन चीजें हैं। कृपया दंगा पीड़ितों की स्थिति और हाल ही में हुए दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। देश में हुए दुर्भाग्यपूर्ण दंगों के दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उस पर आपने एक भी शब्द नहीं बोला। लोगों को मुम्बई से निकाला गया है।

श्री पी०बी० नरसिंह राव : वे वापिस छोट रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जिन लोगों को मुम्बई से निकाला गया वे बहुसंख्यक समुदाय के हैं। शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की ख्याति को उजागर करने वाला यह सबसे प्रशंसनीय कार्य है। हम मांग कर रहे हैं कि अयोध्या मसले पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 138(2) पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। आप क्यों उन बातों को पुनः उजागर कर रहे हैं? वहाँ केवल एक विषय पर निर्णय लिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि आप अयोध्या के प्रश्न पर पुनः उत्तेजित होने और उस पर पुनर्विचार के लिए उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति, जिन्हें आप जानते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म और राजनीति को मिला रहे हैं। अब आप उसकी बागडोर उनके हाथ में दे रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री ने कुछ भी नहीं कहा है। डंकल प्रस्ताव पर जब सारा देश उत्तेजित होगा, सभा उत्तेजित होगी, तब हमें बोलना चाहिए। प्रधान मन्त्री महोदय आपने इस देश की आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त के बारे में कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी, हम आर्थिक मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने उबरक उद्योग में उत्पन्न हुए संकट के बारे में कहा है। लेकिन इसके साथ घरेलू उद्योगों का अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। उन्हें इसके बारे में भी कहना चाहिए था।

श्री पी०बी० नरसिंह राव : मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने उस पर पहले ही बात कर ली है।... (व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में है।

[हिन्दी]

इसमें कुछ तो बोलना चाहिए था।

[अनुवाद]

अति महत्वपूर्ण बड़े मुद्दों पर आप चुप रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी०बी० नरसिंह राव : आप लिखकर ले आए हैं तो पूरा पढ़ ही दोजिए, उसमें से कई का जवाब तो मिल चुका है। फिर तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसका पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डो : प्रधान मन्त्री जी से एक बात की सफाई मैं चाहता हूँ। मिजोरम के मामले को जब यहाँ पर उठाया गया तो प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि जो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में लिखा था कि हम मिजोरम को ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, उसका पार्टी की ओर से या किसी स्तर से, उसकी निन्दा की गई है। अध्यक्ष जी, उस चुनाव के बाद मैं मिजोरम गया था। वह घोषणा पत्र और वहाँ की पूरी स्थिति का अध्ययन किया था। उस घोषणा पत्र को यहाँ दिल्ली में लोगों के सामने रखने का काम मैंने किया था। कांग्रेस पार्टी को उस वक़्त मैंने चुनौती देकर कहा

था, आपने यह बात कैसे कही, लेकिन कभी भी इस प्रश्न का जवाब आज तक हमको नहीं मिला था। अब जब प्रधान मन्त्री जी ने यहां पर यह बात कही, तो मैं चाहता हूं, प्रधान मन्त्री जी इस बात को, जो निन्दा की बात कही है, पूरे सवृत के साथ कहें।

श्री पी०बी० नरसिंह राव : हममें सवृत क्या है। हमने उसी दिन, राजीव गांधी जी ने खुद कहा इससे डिमोशिफ्ट करते हैं। यह गलत बात है। यह कोई आल इंडिया कांग्रेस की बात नहीं है। हमारे पार्टी प्रंजीडेंट ने कहा।... (व्यवधान)...

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : इलैक्शन के बाद।

श्री पी०बी० नरसिंह राव : चुनाव के वक्त ही कहा था।... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने अनुच्छेद 138(2) के तहत अयोध्या का मामला उच्चतम न्यायालय को देने के बारे में एक मुद्दा उठाया था, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो सब पर बाध्य होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान)...

श्री पी०बी० नरसिंह राव : क्या मैं वास्तव में इस मुद्दे का हवाला दे सकता हूं? मेरे विचार से यह जरूरी नहीं था लेकिन चूंकि यह मुद्दा निरन्तर उठाया जाता रहा है, मैं इसका उत्तर देना ठीक समझता हूं यह सब है कि जब उत्तर प्रदेश में बी० जे० पी० सरकार थी, हम चाहते थे कि बी०जे०पी० सरकार अनुच्छेद 138(2) के लिए सहमत हो जाएगी। अनुच्छेद 138(2) के तहत जो अनिवार्य है उसको देखते हुए यदि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सहमत हो जाती है तो इससे कोई न कोई निष्कर्ष निकल जाएगा और कोई समस्या नहीं रहेगी, यदि दोनों सहमत हो जाते हैं तो न्यायालय अपना अन्तिम निर्णय दे देगा और हर एक को प्रसन्नता होगी। इस बारे में उत्तेजित होने का कोई फायदा नहीं होगा। यही केन्द्रीय मुद्दा है समूची बात का केन्द्र बिन्दु यही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ही सहमत नहीं होती, सहमत नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते के मामले में कोई समय सीमा नहीं है चाहे इसमें दस वर्ष या बीस वर्ष लगे सामान्य मुकदमेबाजी चलती रहेगी। हम फिर से राष्ट्रीय एजेन्डा लाएंगे। हम अयोध्या के बारे में भूल जाएंगे क्योंकि अन्य कोई इस मामले की जांच कर रहा है। यही विचार था। बी०जे०पी० या किसी अन्य के खिलाफ इसमें कोई बुरी भावना नहीं थी। हम केवल यह चाहते थे, मामले पर अन्ततः निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रत्येक बात पर अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिए और उसके लिए हम दोनों की राय की आवश्यकता है यदि हमें दोनों की सहमति नहीं मिलती है तो यह एकतरफा मामला हो जाएगा। यदि वे अनुच्छेद 138(2) पर सहमत नहीं होते हैं तो वे फिर से आन्दोलन करते रहेंगे। हमको हर वर्ष, हर माह हर रोज आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। हम इस स्थिति में उलझ रहे हैं। हम इस स्थिति में उलझना नहीं चाहते। आज भी हम चाहते हैं, दोनों सहमत हो जाएं। महोदय आज भी मैं उनके लिए यह खुला प्रस्ताव रख रहा हूं।

हमने अनुच्छेद 143 को भी पढ़ा है। हम फिर से अनुच्छेद 138 के तहत जाने को तैयार हैं, यदि बी०जे०पी० सहमत हो जाती है कि वे उसका अनुसरण करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ।
... (व्यवधान) ...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसमें बी०जे०पी० कैसे आ जाती है ? ... (व्यवधान) ...

श्री पी०बी० नरसिंह राव : कृपया इन्तजार कीजिए ... (व्यवधान) ...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप उनके बारे में धूल जाइए। ... (व्यवधान) ...

श्री पी०बी० नरसिंह राव : कृपया बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ...

[हिन्दी]

शाहबुद्दीन जी, आप बैठ जाइए। आपके लिए तो अलग जवाब है मेरे पास ... (व्यवधान) ...

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। कृपया समझने की कोशिश कीजिए, कृपया जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। महोदय, मेरे लिए अब यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का मामला नहीं है क्योंकि आज राज्य सरकार भी हमारे पास है। मैं स्वयं से सहमत हूँ। यदि मैं आज 138 की बात करता हूँ तो लोग उस पर हसेंगे। ... (व्यवधान) ...

श्री सोमनाथ षटर्जी : जी, नहीं।

श्री बसुबेव आचार्य : क्या आपने अन्य दलों से सलाह की है।

श्री पी०बी० नरसिंह राव : मैंने प्रत्येक से सलाह की है ... (व्यवधान) ...

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : इससे हम समझते हैं कि प्रधान मन्त्री के पास वीटों नहीं है। वीटो श्री आडवाणी के पास है न कि प्रधान मन्त्री के पास। अब हमने यह समझ लिया है।
... (व्यवधान) ...

श्री पी०बी० नरसिंह राव : समय सीमा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) ...

श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

महोदय, मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इस मामले को अगले 20 वर्ष तक लम्बित नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि आन्दोलन बढ़े बल्कि मैं इस मामले को सुलझाना चाहता हूँ। अगले कुछ महीने में यह मामला हल हो जाएगा। यह मामला 143 के अधीन हल किया जा सकता है न कि 138 के तहत। इसे सुलझाना है। मैं इसको हर हाल में सुलझाना चाहता हूँ। इसे सुलझाना पड़ेगा। ... (व्यवधान) ...

श्री सोमनाथ षटर्जी : महोदय, प्रधान मन्त्री ने कहा था कि अब भी हम सहमत हैं इसलिए जो कारण उन्होंने दिया है, वह कोई कारण नहीं है। देश ने मांग की है कि 138(2) के अधीन मामले को हल किया जाना चाहिए।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : देश उसकी मांग नहीं करता। मेरे लिए संबंधित पार्टियाँ केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें नहीं हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मन्त्री जी, कृपया अपने आपसे समझौता न कीजिए। कृपया उस पर कोई असमर्थता मत दिखाइए। आपको 138(2) पर दृढ़ रहना चाहिए। आपको हमेशा के लिए यह सब मामला समाप्त कर देना चाहिए।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैं इस पर पूर्ण रूप से दृढ़ हूँ। अगले छः या आठ महीनों में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ जाएगा। इसे पूर्णतया लागू किया जाएगा और इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसका विरोध करेगा।... (व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके निष्कर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह बहुत गम्भीर मामला है।... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, आप श्री राम नाईक के बाद बोल सकते हैं।... (व्यवधान) ... हमने इस मामले पर काफी समय तक चर्चा की है। जब हम बजट और मांगों पर चर्चा करेंगे तो हमें अन्य कई मामलों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त व सारगर्भित बोलने का मौका दिया है। मैं प्रधान मन्त्री जी के सब प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने का अनुरोध करूँगा जिससे इन सबसे निपटा जा सके।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : वे अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री राम नाईक : पिछले वर्ष विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने मांग की थी कि प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दो करोड़ रुपए आवंटित किए जायें।

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा बजट चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।

श्री राम नाईक : आज संसद में श्री अन्ना जोशी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था और उस समय प्रधान मन्त्री जी भी उपस्थित थे। उस समय उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय : बजट चर्चा के दौरान इस पर चर्चा की जा सकती है। अब श्री नीतीश कुमार।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अभी प्रधान मन्त्री जी ने जो जवाब दिया और जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा है कि अयोध्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट में 138(2) के अन्तर्गत नहीं देने की स्थिति उनकी तब तक है जब तक भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर एग्री नहीं कर जाती है। इसका मतलब साफ है कि अयोध्या के मामले पर अभी भी केन्द्र सरकार का रुख साफ नहीं है और अयोध्या के सवाल पर केन्द्र सरकार उन्हीं शक्तियों के साथ मिल रही है जिन्होंने मस्जिद को डिमोलिश किया। दूसरी बात यह है कि मंडल कमिशन के मामले में 16 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पर बी०पी० सिंह गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को जायज करार दिया, उसके बाद उस तारीख के बाद जितनी भी केन्द्रीय सरकार की नौकरियां निकलीं उनमें 27 फीसदी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होनी चाहिए थीं लेकिन इसकी उपेक्षा करके इस बार की यू०पी० एस०सी० की परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है और इस सवाल पर प्रधान मन्त्री जी ने साफ-साफ कुछ भी नहीं कहा है। हम प्रधान मन्त्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।... (व्यवधान)...

श्री पी०बी० नरसिंह राव : मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करना चाहता हूँ। मेरा दृढ़ विचार है कि उचित सलाह किए बिना अनुच्छेद 138(2) का हवाला देने का अभिप्राय, यह होगा कि देश में 20 वर्षों तक इस पर आन्दोलन और मुकदमेवाजी चलती रहे।... (व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत असन्तोषजनक बात है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसके विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

4.35½ म०प०

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पी० जी० नारायणन (गोविन्देटीपालयम्) : प्रधान मन्त्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है वह अयोध्या मामले को स्थायी रूप से सुलझाने में असफल हो गए हैं अतः अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम की ओर से हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

4.36 म०प०

इस समय श्री पी० जी० नारायणन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी को शायद याद होगा कि प्रधान मन्त्री जी से 18 नवम्बर को जब मेरी बातचीत हुई थी तो इसी विषय पर चर्चा हुई थी, जिस विषय पर आज विपक्ष के कई सदस्य प्रधान मन्त्री के बयान से नाराज होकर सदन त्याग कर चले गए और विडम्बना यह है कि उस समय मैं उनको कह रहा था कि आपको पूरा अधिकार है कि आप 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को रैफर कर दीजिए, जब कि प्रधान मन्त्री जी मुझे समझा रहे थे कि 143 का कोई मतलब नहीं है। अगर 138 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार सहमति दे, तो ही इसका मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ इस विषय में प्रधान मन्त्री जी से पूछने के लिए कि देश भर में जितने संविधान के जानने वाले हैं, वे हमारे अयोध्या के दृष्टिकोण से सहमत हों या न हों, प्रायः सब ने कहा कि केन्द्रीय सरकार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ धारा 356 का प्रयोग करके उनको बरखास्त करने का कोई अधिकार नहीं था, नैतिक दृष्टि से भी कोई अधिकार नहीं था।... (व्यवधान)...

अध्यक्ष जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रधान मन्त्री जी के बयान से आज जो प्रतिध्वनि निकल रही है, वह मुझे 1975 का स्मरण कराती है, जब 1975 में यह दिखाई पड़ने लगा था कि साधारण कानून के अन्तर्गत शायद हमारी सरकार चली जाएगी, उसकी प्रतिध्वनि मुझे सुनाई देती है।... (व्यवधान)...

इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि हम 6 महीने पूरे होने के बाद 6 महीने और बढ़ाएंगे या आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि जो कुछ हुआ, सही या गलत, लेकिन 6 महीने के अंदर-अंदर इन 4 राज्यों में जहाँ पर आज जनता की चुनौती हुई सरकार नहीं है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, हम फिर से वहाँ सरकार बनाने का प्रबंध करेंगे। क्या प्रधान मन्त्री जी यह आश्वासन देने को तैयार हैं।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : राज्यपालों से पूछ कर करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और राज्यपाल आपसे पूछ कर करेंगे, जैसे पहले आपसे पूछ कर उन्होंने रिपोर्ट दी थी, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या रिपोर्ट दें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसा नहीं है, आपको मालूम है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधान मंत्री जी, इस सवाल पर मैं उम्मीद करता हूँ और आप इस मामले पर साहसपूर्वक कह दें कि ठीक है, उस समय जो कुछ हुआ, हमें उस समय उचित लगा, लेकिन 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव की वहाँ व्यवस्था कराएंगे। यह सब दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से और देश के राजनीतिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन चार राज्यों की दृष्टि से सही निर्णय होगा। इस बारे में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ।

मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री इस समय राज्यपालों का सहारा ले रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : राज्यपालों का सहारा नहीं ले रहा हूँ। क्यों-कि जब कभी जो कुछ कदम उठाया गया है राज्यपालों की सिफारिश पर ही कदम उठाया गया है। उनको छोड़ कर कभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मैं खड़े-खड़े इस सदन में यह आश्वासन दूँ कि यह करूँगा, या नहीं करूँगा, यह कोई उचित बात नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इससे असन्तुष्ट हूँ। हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

4.41 म०प०

इस समय श्री कृष्ण आडवाणी तथा कुछ अन्य सबस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। अभी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को रखा कि मैं भाजग से राय करने के बाद ही कोई निर्णय लूँगा। अयोध्या में जो विवादित जगह है, आर्टिकल 138 के तहत राय लेने के लिए भेजना चाहेंगे या नहीं? डिस्प्यूटिड जो जमीन है 143 के तहत आप दे दीजिए। इसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो। दूसरा, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी किसान रेली हुई। डुकेल प्रस्ताव के संबंध में भी देश में किसान बहुत भ्रम में पड़े हैं। डुकेल प्रस्ताव के संबंध में इसमें कोई चर्चा नहीं हुई है, क्या इस पर आप विचार करना चाहेंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यह कहना चाहूँगा कि डुकेल परपोजल पर इस बात की सावधानी हम लेंगे कि हमारे भारतीय किसान को कोई नुकसान न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूँ अथवा कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को पृथक रूप से प्रस्तुत करवाना चाहते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, आप उन्हें एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा में मतदान के लिए सभी संशोधनों को एक साथ प्रस्तुत करूँगा।